फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
कपूराराम पुत्र लुम्बाराम जाति मेघवाल निवासी बेड़ा तहसील बाली जिला पाली		राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

किस्म मुकदमा राजस्व विविध प्रकरण GCMS No. 2025/ 107
प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा आदेश 9 नियम 4 सीपीसी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
25/02/25	वकील प्रार्थी श्री ओमप्रकाश दवे उपस्थित। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 09 नियम 04 सीपीसी पेश कर प्रकरण संख्या जीसीएमएस नंबर 2023/35 बअनवान कपुराराम बनाम तहसीलदार, बाली अंतर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में दिनांक 04.07.2024 को अदम हाजरी में खारिज प्रकरण को रेस्टोर (पुन बरामद) करने का निवेदन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी को सुना गया एंव राजस्व विविध प्रकरण संख्या जीसीएमएस नंबर 2023/35 बअनवान कपुराराम बनाम तहसीलदार, बाली अंतर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की आदेशिकाओं का भी अवलोकन किया गया। पत्रावली की आदेशिकाओं के अवलोकन से ज्ञात है कि प्रकरण में तहसीलदार, बाली की तथ्यात्मक रिपोर्ट में प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक पहुँच के लिये खसरा नंबर 34 के साथ साथ निजी खातेदारो की भूमियाँ यथा ग्राम बेड़ा प्रथम के खसरा नंबर 34/2 एवं खसरा नंबर 2690/58 की भूमियाँ प्रभावित होने से न्यायालय आदेशिका दिनांक 05.09.2023 से प्रार्थी अधिवक्ता को ग्राम बेड़ा प्रथम के खसरा नंबर 34/2 एवं खसरा नंबर 2690/58 की भूमियों के खातेदारन् की तलबी के लिये पी.एफ. नोटिस प्रस्तुती के निर्देश दिये गये। पत्रावली की आदेशिकाओ के अवलोकन से ज्ञात है कि दिनांक 05.09.2023 से बाद अधिवक्ता प्रार्थी को लगभग 8-9 माह की अवधि में तकरीबन 08 समय/ अवसर पी.एफ. नोटिस प्रस्तुती के अवसर दिये गये, इसके बावजुद न्यायालय आदेश की पालना अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा नहीं की गई। इतना ही नहीं दिनांक 04.07.2024 को प्रार्थी व उसके अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित भी नहीं हुये, जिससे विवश होकर न्यायालय द्वारा दिनांक 04.07.2024 को प्रार्थी के उक्त प्रकरण में अदम हाजरी/ अदम पैरवी में खारिज किया गया। इस प्रकार अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा न्यायालय आदेशो की पालना नही किये जाने से आदेश 09 नियम 02 सीपीसी के प्रोविजों के तहत प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया। जिस आदेश को वकील प्रार्थी द्वारा आदेश 09 नियम 04 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के माध्यम से अपास्त करवा कर प्रकरण को पुन. बरामद किये जाने की दलील दी जा रही है। इस सबंध में दीवानी प्रक्रिया संहिता मे विधि के प्रावधानो के अवलोकन से ज्ञात है कि धारा 151 सी.पी.सी. के प्रावधानो अनुसार न्यायालय इतना लाचार व असहाय नही है कि किसी वाद के पक्षकार व उनके अधिवक्ता न्यायालय निर्देशो की पालना नहीं करे फिर भी न्यायालय ऐसे प्रकरणो की प्रक्रिया को आगे बढाये बिना ही लंबित रखे। चूँकि प्रार्थी अधिवक्ता को पुर्व में न्यायालय द्वारा हितबद्ध निजी खातेदारो की तलबी के लिये पी.एफ. नोटिस प्रस्तुती के अवसर दिये गये, इसके बावजुद पालना नहीं किये जाने से न्यायालय द्वारा आदेशिका दिनांक 04.07.2024 से प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को अदम हाजरी/अदम पैरवी मे खारिज किया गया, जिससे प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 04 सी.पी.सी. खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र निर्णित शुमार होकर पुर्व रावि प्रकरण संख्या जीसीएमएस नंबर 2023/35 बअनवान कपुराराम बनाम तहसीलदार, बाली अंतर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के संलग्न हो। न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.) सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली	